

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, एवं पंचायत राज (प्रा.शि) विभाग राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/प्रारं/बजट/बी-7/9611/2019-20/२५

दिनांक:- 6-8-2019

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा-अजमेर

विषय:-04-चिकित्सा व्यय में राशि आवंटन बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत मॉग संख्या-24लेखामद 2202-सामान्य शिक्षा01-प्रारम्भिक शिक्षा 196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता, (07)-निरीक्षण [02]-निरीक्षण कार्यालयों का संचालन व्यय प्रतिबद्ध (राज्य निधि) के अन्तर्गत विस्तृत मद 04-चिकित्सा व्यय में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए निम्नलिखित कार्यालय को उसके नाम के सामने अंकित राशि का आवंटन गंभीर रोग से पीड़ित कर्मचारियों अथवा उनके परिवार के सदस्यों के इलाज पर हुवे चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण हेतु किया जा रहा है । राशि का उपयोग राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2008/2013 तथा वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया जावे ।

क्र.स.	OFFICE CODE	कार्यालय का नाम	आबंटित (रूपये राशि में)	कर्मचारी का नाम एवं पद
1	1580	जिशिअ प्राशि अजमेर	14832	श्री पुनम चन्द गहलोत सहायक प्र0अ0 की पत्नि एवं स्वयं के गंभीर रोग उपचार पर व्यय के पुनर्भरण उपचार हेतु।
		योग	14832	

(अक्षरे रूपये चौदह हजार आठ सौ बतीस मात्र)

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.5(थ-75) कोष/IFMS/कोषालय/23484-23623 दिनांक 13.12.2013 के तहत IFMS अंतर्गत कोषालय से प्रत्येक माह की 1 से 10 तारीख तक बुक किये आय-व्यय के आंकड़ों का मिलान 14 तारीख तक एवं 11 तारीख से माह के अन्त तक बुक किये गये आंकड़ों का मिलान आगामी माह की 3 तारीख तक आवश्यक रूप से किया जावे।

उपरोक्त राशि का आवंटन इस शर्त के साथ जारी किया जा रहा है, कि राशि का भुगतान संबंधित कर्मचारियों को चिकित्सा पुर्नभरण नियमानुसार करने का दायित्व संबंधित अधिकारी का होगा।

मुख्य लेखाधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, एवं पंचायत राज
(प्रा.शि) विभाग राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक राजस्थान जयपुर।
2. नोडल अधिकारी सिस्टम एवं अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा।
3. सहायक लेखाधिकारी, अंक मिलान अनुभाग।
4. रक्षित पत्रावली।

२०

मुख्य लेखाधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, एवं पंचायत राज
(प्रा.शि) विभाग राजस्थान, बीकानेर